न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 38/2020
GCMS NO. : 2020/00091

–:: प्रार्थीया :–

1. गोदावरी पुत्र हरदेव
जाति– मेघवाल, निवासी–
धनेरिया, तहसील जैतारण जिला
पाली राज0।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण :–

1. पानीदेवी बेवा हरदेव
2. पोकरराम पुत्र हरदेव
3. भीकाराम पुत्र हरदेव
जातियान– मेघवाल, निवासीगण– धनेरिया, तहसील– जैतारण, जिला– पाली(राज0)
4. तहसीलदार एवं उपंपजीयन अधिकारी जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 **तारीख रजू: 06/08/2020**

उपस्थित

1. श्री नितेश चौहान अधिवक्ता, प्रार्थीया।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक: 31/03/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायला एवं गैरसायलान् संख्या 1 से 3 सभी हरदेव पुत्र फता मेघवाल निवासी ग्राम धेनरिया तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के पुत्र पुत्रीया एवं विधिक वारिसान वंशज है। उपरोक्त वंश वृक्षावली के माफिक सायला व गैरसायलान् संख्या 1 से 3 सभी मृतक हरदेव पुत्र फता के वंशज है जो हिन्दू धर्म के अनुयायी है एवं भारतीय नागरिक है पक्षकारों पर हिन्दू विधि लागू होती है। सरहद मौजा धनेरिया पटवार हल्का कैकिन्दडा तहसील जैतारण जिला पाली राज मे सायला एवं गैरसायलान् संख्या 1 से 3 की पैतृक पुश्तैनी सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 399 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 401 रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 541 रकबा 10 बीघा कुल खसरा 3 कुल रकबा 42 बीघा 09 बिस्वा कुल लगान 23.2 रूपये इन उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि मे हरदेव वल्द फता के नाम से राजस्व रेकर्ड जो उनके पिता ने फौतदगी नामान्तरण के प्रापत हुई उत कृषि भूमि सायला एवं गैरसायलान् की पैतृक सम्पति परिवार के [illegible] होकर कास्त करते चले आ रहे है तथा उक्त कृषि भूमि सायला [illegible] पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है। विवादित भूमि वक्त सैटलमेन्ट से ही [illegible] एवं उसके [illegible] काबिज कास्त रहे है तथा हरदेव के फोत होने पर जायन्दा वारिसान गैरसायलान के नाम ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर नामान्तरण कर लिया गया जो जरिये [illegible]दगी म्युटेशन के दर्ज हुई थी उक्त सम्पति सायला की पैतृक पुश्तैनी एवं उनके पिता की सम्पति होने से उक्त सम्पति पैतृक पुश्तैनी सम्पति है नकल जमाबन्दी साथ पेश है। उक्त सम्पति हरदेव पुत्र फता के फौत होने पर हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम की धारा 08 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.06.15 16:37:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के तहत उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि हरदेव जी के जायन्दा पुत्र पुत्रीयों यानि प्रथम श्रेणी सभी विधिक वारिसान एवं उतराधिकारीयो के नाम जरिये फौतेदगी नामान्तरण के दर्ज की जानी चाहिये थी लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी ने मृतक हरदेव जी फौत होने पर प्रथम श्रेणी विधिक वारिसानो की जांच किये बिना ही केवल मात्र जायन्दा पुत्र पोकर, भीका एवं पत्नी पानी के नाम ही उक्त विवादित आराजी भूमि को जरिये फौतेदगी नामान्तरण के राजस्व रेकर्ड दर्ज कर दिया जो नामान्तरण संख्या 415 के जरिये उक्त पैतृक पुश्तैनी सायला गोदावरी देवी की आराजी को केवल मात्र गैरसायलान् के नाम ही म्युटेशन किया जो गलत एवं विधि विरूद्ध है जबकि उक्त पैतृक पुश्तैनी सम्पति मे सायला के विधिक हक अधिकार निहित है तथा केवल मात्र नामान्तरण दर्ज करने से सायला के विधिक एवं उतराधिकारी अधिकार समाप्त नही हो जाते तथा इस प्रकार विधि विरूद्ध सायला के बिना सुने तथा बिना विधिक उतराधिकारीयो की जांच किये गये नामान्तरण से कानूनन न तो किसी पक्षकार के पुस्तैनी हक व अधिकार समाप्त होते है इस प्रकार से इस प्रार्थनापत्र में वर्णित विवादित आराजी कृषि भूमि के सम्बन्धमे किये गये विधिविरूद्ध नामान्तरण संख्या 415 वादीया के विधिक पैतृक पुस्तैनी एवं सम्पेतिक हक एवं उत्त्तराधिकरीयों अधिकारो के विरूद्ध शून्य एवं निष्प्रभावी दस्तावेज मात्र है लेकिन उक्त नामन्तरण के अस्तित्व में रहने से सायला के हक अधिकारो पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है इसलिए ऐसे विधि विरूद्ध एवं विधिक उतराधिकारो के विरूद्ध पारित नामान्तरण को रद्ध घोषित करवाने के सायला हक अधिकारी होने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद घोषणा का बहक सायला विरूद्ध गैरसायलान् के श्रीमान् समक्ष सादर पेश है। इस प्रार्थनापत्र मे वर्णित विवादित कृषि भूमि सायला के पिता हरदेव पुत्र फता जी की होने से वादीगण की पैतृक पुश्तैसी सम्पति है, जिस पर वदीगण को बाई बर्थ जन्मतः हक व अधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थनापत्र मे वर्णित वंश वृक्षावली अनुसार जायन्दा सभी विधिक उतराधिकारी है एवं हक हिस्सा व अधिकार तथा अपने विधिक एवं हिन्दू उतराधिकारी अधिनिमय के तहत सायला विधिक उतराधिकारीयो मे प्रथम श्रेणी की विधिक उतराधिकारी है। उक्त पैतृक पुश्तैनी सम्पति मे अपने पिता के फौतेदगी नामान्तरण के अपने नाम का राजस्व रेकर्ड दर्ज करवाने एवं उक्त सम्पति मे पैतृक पुश्तैनी सम्पति होने तथा हरदेव पुत्र फता के जिन्दा वारिसानो मे होने से उक्त सम्पति मे अपने नाम की खातेदारी अधिकारो की घोषणाकरवाने एवं अपने नाम की घोषणा करवाने की अधिकारी होने के कारण यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद घोषणा [illegible] रूद्ध गैरसायलान् के सादर पेश है। प्रार्थनापत्र मे विवादित आराजी [illegible] पुश्तैनी आराजी है तथा उसे प्राप्त करने का सायला को [illegible] एवं साजिश रचकर सायला की पैतृक पुश्तैनी सम्पति की बइमानी [illegible] हडपने की नियत से बिना विधिक वारिसानो की सही जांच किये पटवारी के साथमिलीभगत कर गैरसायलान् द्वारा अपने नाम दर्ज करवाये गये राजस्व रेकर्ड एवं नामान्तरण के आधार पर उक्त सम्पति को सायला को नुकसान पहुंचाने की नियत से उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.06.15 16:37:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

सम्पति को रहन बेचान बक्सीस अन्य हस्तान्तरण करने की योजना बना रहे है त्था प्रतिवादी भीकाराम नाऔलाद होने एवं गैरसायलान् संख्या 1 पानीदेवी वृद्ध महिला अनपढ होने का भू माफिया एवं गांव के दलाल बाले बाले ही उक्त सम्पति को बेचान करवाने की योजना बना रहे है जबकि घर परिवार मे आए सम्पूर्ण खर्चो को गैरसायलान् संख्या 3 ही उठाता रहा है एवं दोनो का भरण पोषण भी गैरसायलान् संख्या 3 ही करता चला आ रहा है। पानीदेवी मृतक हरदेव की दुसरी पत्नी है तथा पहली पत्नी सुआदेवी थी जिसका देहान्त हो चुका है जिसकी संतान सायला है। इस कारण से सायला के हक अधिकारो को महरूम करना चाहते है, अगर गैरसायलान् ऐसा अवैधानिक कार्य करने की योजना बनाई जिस पर सायला को दिनांक 05.07.2020 को पता चला तो सायला ने अपनी पैतृक पुश्तैनी आराजी की नकले प्राप्त करना चाहा तथा गैरसायलान् के ऐसे कार्य को रूकवाने एवं अपने हक अधिकार का प्रार्थनापत्र करने की तैयारी की फिर भी अगर गैरसायलान् ऐसा अवैधानिक कार्य करते है तथा उक्त आराजी को रहन बेचान बक्सीस अन्य हस्तान्तरण कर देते है तो सायला को असीम क्षति होगी तथा अपनी पैतृक पुश्तैनी सम्पति के अधिकारो से महरूम होना पड़ेगा तथा सायला को होने वाली क्षति का आंकलन मुद्रा मे नही किया जा सकता। इसलिए सायला ऐसे कार्य का मौके पर विरोध करेगी जिससे मुकदमेबाजी होगी तथा मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स् होगी। ऐसी विषम परिस्थितियो मे सायला के पास उक्त सम्पति मे अपने हक अधिकारो की एवं खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने एवं दौराने प्रार्थनापत्र सुनवाई के उक्त सम्पति को गैरसायलान् द्वारा रहन बेचान बक्सीस अन्य हस्तान्तरण खूर्द बुर्द करने आदि से रूकवाने का अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष विरूद्ध गैरसायलान् के सादर पेश है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र मे वर्णित सरहद मौजा धनेरिया पटवार हल्का कैकिन्दडा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे स्थित वादीया की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा संख्या 399 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा ख0नं0 401 रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा व ख0नं0 541 रकबा 10 बीघा कृषि भूमि मे वादीया के हक अधिकार तय होने तक एवं खातेदार काश्तकार घोषित होने तक एवं वादीया के हक अधिकारो के विरूद्ध पारित नामान्तरण को खारिज एवं अपास्त करवाने तक उक्त कृषि भूमि को रहन बेचान बक्सीस अन्य हस्तान्तरण करने से प्रतिवादीगण उनके नोकर चाकर हाली एजेन्ट आदि को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जावे एवं वर्तमान राजस्व [illegible] एवं मौके की स्थिति को यथावत् रखे जाने का आदेश फरमाया [illegible] की रूह से अन्य कोई सहायता जो सायला प्राप्त करने की अधिकारी हो दिला[illegible] जावे।

इस पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज [illegible] किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद नोटिसेज तामिल/सूचना के अनुपस्थित रहनें से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.06.15 16:37:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण

बहस राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

1. प्रथम दृष्टया मामलाः– प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त पैतृक पुश्तैनी शामलाती खातेदारी आराजी खसरा संख्या 399 रकबा 01–154 बीघा, खसरा नम्बर 401 रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 541 रकबा 10 बीघा कुल खसरा 3 कुल रकबा 42 बीघा 09 बिस्वा कुल खसरा 03 रकबा 42–09 बीघा में जन्म से निहित अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा प्रस्तुत किया, जो न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। मूल वाद के अनुतोष के सम्बन्ध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नामातंरण पंजिका एवं जमाबन्दी से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के नाम दर्ज हैं जो कि अप्रार्थीगण को वादीया व अप्रार्थीगण के पिता हरदेव के फौत होनें पर फौतेदगी नामान्तरण के द्वारा विरासत में प्राप्त हुई। जिसमें वादीया का भी हरदेव की पुत्री होनें के नाते हक अधिकार निहित है। अतः वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में निहित होना साबित होता है।

2. सुविधा का संतुलन :– चुंकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में निहित होना साबित हुआ है तथा प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त पैतृक पुश्तैनी आराजी में जन्म से निहित अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु दावा प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थीया के हक हिस्से तक सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूरणीय क्षतिः– चुंकि उपर्युक्त दोनों बिन्दुओं प्रार्थीया के पक्ष में साबित हुये है। साथ ही भू–अभिलेख के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है एवं इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि अप्रार्थीगण द्वारा भू–अभिलेख में अपना नाम दर्ज होनें का फायदा उठाकर वादग्रस्त आराजी का हस्तांतरण रहन/बैचान/बक्शीश आदि किया जा सकता है। इससे प्रकरण में अनावश्यक जटिलता बढ़ेगी एवं प्रार्थीया को सुगम न्याय–निर्णयन् में अहितकारी विलंब एवं जटिलता का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार यदि प्रार्थीया के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति कारित होगी। चुंकि प्रार्थीया द्वारा अपने पिता की पैतृक आराजी में जन्म से निहित उसके हक–हिस्सों की घोषणा का दावा किया है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के सबंधं में अप्रार्थीगण ताफैसला [illegible] करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना विधिसंगत एवं आवश्यक [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Sezhiver
Date: 2021.06.15 16:37:07 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के [illegible] में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी तहसील जैतारण के ग्राम धनेरिया के खसरा संख्या 399 रकबा 01–154 बीघा, खसरा नम्बर 401

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 541 रकबा 10 बीघा कुल खसरा 3 कुल रकबा 42 बीघा 09 बिस्वा कुल खसरा 03 रकबा 42–09 बीघा का बैचान व हस्तातंरण नहीं करें तथा वर्तमान भू–अभिलेख में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

निर्णय आज दिनांक 31/03/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.06.15 16:37:07 IST
Reason: SelfAttested